भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 231

02 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां और उनकी वैधता एवं सरकारी शिथिलता

231 # श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में नियमित की गई अनाधिकृत कॉलोनियां कौन-कौन सी हैं और अभी भी अवैध मानी जाने वाली कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन लोगों की पहचान करने का विचार रखती है जो मेहतनकश लोगों को जमीन बेचकर और अनाधिकृत अवैध कॉलोनियों में बस्तियां बसाकर गुमराह करते हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में सरकारी जमीन पर बनी कितनी अनधिकृत कॉलोनियों को ढहाया गया है; और

(घ) सरकारी जमीन पर अभी कितनी अवैध कॉलोनियां दिल्ली में हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (घ): पिछली नीतियों के तहत, 103 अनधिकृत कॉलोनियां (यूसी) को 1962 तक एमसीडी और डीडीए द्वारा नियमित किया गया था। इसके बाद, 1979 और 1993 के बीच की अवधि के दौरान एमसीडी और डीडीए द्वारा अन्य 567 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया था।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में सूचीबद्ध 1731 अनधिकृत कॉलोनियों (विनियम संख्या 7 के तहत प्रदान किए गए बहिष्करण के दायरे में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को छोड़कर) की दिनांक 08.03.2022 के सांविधिक आदेश 1014 (ई) के तहत अधिसूचित विकास नियंत्रण मानदंडों (डीसीएन) के अधीन नियमितीकरण हेतु पहचान की गई है।

अब तक, अनधिकृत कॉलोनियां के आरडब्ल्यूए में से कोई भी रेगुलराइजेशन/रीजनरेशन के लिए दिनांक 08.03.2022 के सांविधिक आदेश 1014 (ई) द्वारा अधिसूचित डीसीएन के अनुसार किसी भी प्रस्ताव के साथ सामने नहीं आई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 के प्रावधान के अनुसार, किसी भी अनधिकृत कॉलोनी को 'अवैध' घोषित नहीं किया गया है।

(ख): दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29 में अन्य बातों के साथ-साथ बिना किसी योजना के कॉलोनी बसाने की दृष्टि से किसी भूमि के उपयोग, बिक्री या अन्यथा व्यवहार से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में दी गई सूची के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया है।

******